

**ग्राम पंचायत बड़ाच, विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016**

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बड़ाच, विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति विधोतमा देवी	1.4.2013 से 22.01.2016
2	श्री भूपेन्द्र दड़ेल	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मैन राम	01.04.2013 से 31.03.2015 तक
2	श्री सतेन्द्र	01.04.2015 से लगातार

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:-** ग्राम पंचायत बड़ाच के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹) ½लाखों में
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्त शेष में अंतर पाया जाना	0.78
2	6	पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.30

3	7(क)	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जाना	20.29
4	7(ख)	रोकड़ बही में लेखांकित आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना	0.51
5	7(ग)	जारी की गई रसीदों से प्राप्त राशि को वर्तमान समय तक पंचायत रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने के कारण संभावित दुर्विनियोजन की सम्भावना	0.01
6	9	पंचायत राजस्व गृहकर वसूली हेतु लम्बित	0.96
7	12	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानों का उपयोग न किया जाना	13.23
8	13	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	11.75
9	14	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.82
10	15	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	6.90
11	16	विभिन्न भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर/अभिलेख इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाना	5.65
12	17	Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत लाभार्थियों से अंशदान की राशि को प्राप्त न करना	0.72
13	19	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना।	1.05

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बड़ाच , विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा , अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2016 से 06.12.2016 के दौरान ग्राम पंचायत देलठ में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	01/2014	11/2013
2014-15	10/2014	02/2015
2015-16	03/2016	07/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत बड़ाच , विकास खण्ड ननखरी , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 294/2016 दिनांक 06.12.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, बड़ाच से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव , ग्राम पंचायत बड़ाच द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वः स्रोत की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में खाता वहियों का निर्माण नहीं किया गया था खाता वही नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वः स्रोत की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाई गई सूचना संलग्न “परिशिष्ट- 1(क)” पर दिया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत बड़ाच की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व

10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़ाच द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण से दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न रोकड़ बहियों और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में उपलब्ध कारवाई गई सूचना **“परिशिष्ट- 1(ख)”** के अनुसार ₹78007/- का अन्तर था। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अंतर है जिसका बैंक समाधान विवरणी तैयार करके समाधान किया जायेगा। अतः नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष में पाए गए अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत के खाता “ख” से अर्जित ब्याज ₹0.30 लाख को खाता “क” में अन्तरित न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता **“ख”** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता **“क”** में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **“ख”** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹30217 को खाता **“क”** में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत

करते हुये, खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को खाता "क" में अन्तरित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
2013-14	MG Nerga	10479.00
	IWSDP	12258.00
2014-15	MG Nerga	3979.00
	IWSDP	1548.00
2015-16	MG Nerga	732.00
	IWSDP	1221.00
Total		30217.00

7 (क) रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹20.29 लाख के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जाना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान ₹2029052/- की प्राप्त आय के बदले में सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रोकड़ बही में लेखांकित ₹0.51 लाख की आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में ₹50500/- की आय लेखांकित की गई थी, जिसका विवरण निम्न दिया गया है परंतु आय के बदले जारी की गई रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया , जिस कारण से इन रसीदों के द्वारा प्राप्त राशि की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Receipt	Cash Book Page no.	Receipt No.	Amount	From Where Amount Received
20.09.2013	24	009522	40000	GIA under C/o GMS
Date not mentioned	03	11901 to 12000	10000	House Tax
Date not mentioned	03	11901 to 12000	500	Ration Card Fees
Total			50500	

(ग) जारी की गई रसीदों से प्राप्त ₹1072/- को वर्तमान समय तक पंचायत रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने के कारण संभावित दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे।

अंकेक्षण में प्राप्त आय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि जारी की गई रसीदों से प्राप्त ₹1072/- की आय को वर्तमान समय तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप बिना किसी उचित कारण के वर्तमान समय तक ₹1072/- की आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः ₹1072/- की राशि को वर्तमान समय तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किए जाने और संबन्धित बैंक खाते में जमा न करवाए जाने बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए, साथ ही संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

Type of Receipt	Date of Receipt	Cash Book Page no.	Receipt No.	Amount received	Amount recorded in Cash Book & Deposited in Bank	Less Deposited
Misc. Receipts	05.04.2014	02	11704 to 11723	2200.00	2000.00	200.00
Misc. Receipts	30.09.2014	12	11520,11521 &11523 to 11538	1800.00	1600.00	200.00
Misc. Receipts	06.08.2015		9159	672.00	0.00	672.00
Total				4672.00	3600.00	1072.00

8. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना “परिशिष्ट -3 पर विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के

विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व गृहकर की ₹0.96 लाख का वसूली हेतु लंबित

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व ₹96100/- की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

10 मध्य हिमालय जलागम परियोजना की अवधि 01/2009 से 03/2016 के दौरान वित्तीय लेनदेन का लेखांकन रोकड़ बही में न किया जाना

अंकेक्षण में ग्राम पंचायत से संबन्धित विभिन्न लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 11/2011 से 03/2016 के दौरान सचिव द्वारा मध्य हिमालय जलागम परियोजना के अंतर्गत वित्तीय लेनदेन को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच करने पर पाया गया कि इस परियोजना से प्राप्त धनराशि से कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन किए गए थे , परंतु रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने के कारण इन वित्तीय लेनदेनों की अंकेक्षण में जाँच नहीं की जा सकी साथ ही संबन्धित बैंक खाते में दिनांक 31.03.2016 को ₹183874/- शेष थे , साथ ही सचिव ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण को सूचित किया कि इस परियोजना से संबन्धित वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं। **परिशिष्ट-5**, अवधि 01/2009 से 31.03.2016 के दौरान परियोजना धनराशि से किए गए वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित न किया जाना अपनेआप में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं , साथ ही रोकड़ बही में वित्तीय लेनदेनों को लेखांकित न किए जाने से वित्तीय अनियमितताओं/दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये परियोजना से संबन्धित वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

12. अनुदान की ₹13.23 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹1322905/- उपयोग हेतु शेष थे। विवरण परिशिष्ट-6 पर दिया गया है। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए।

13. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹11.75 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा “परिशिष्ट-7” में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1174685/- का व्यय प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल

न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यो पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

14. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.82 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि “परिशिष्ट-8” में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 82421/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. क्रय किए गए ₹6.90 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भण्डार रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹689759/- की विभिन्न मर्दों, जिनका विवरण “परिशिष्ट-9” में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं किया गया था , जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16. ₹5.65 लाख के भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर/ अभिलेख इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाए जाने बारे:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए ₹565367/- के विभिन्न भुगतान, जिनका विवरण परिशिष्ट-10 पर दिया गया है, अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत को इन सभी व्यय वाऊचरो को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

17. Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत लाभार्थियों से अंशदान की ₹0.72 लाख को प्राप्त न किया जाना:-

Integrated Water Shed Development Project(हरयाली) के नियमानुसार लाभार्थी को अपनी जमीन पर सिंचाई हेतु टैंक इत्यादि के निर्माण हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए टैंक की लागत का सामान्य वर्ग से 10% और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति से 5% की दर से का अंशदान लिया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में उपरोक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न लाभार्थियों से अंशदान प्राप्त नहीं किया गया था। विवरण परिशिष्ट-11 पर संलग्न किया गया है। अतः परियोजनाओं के नियमों की अनदेखी करके लाभार्थियों से अंशदान की राशि की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभभोगी/लाभार्थी व्यक्तियों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. मनरेगा के अंतर्गत ₹1317/- का अधिक भुगतान।

अंकेक्षण में चयनित मासों के दौरान मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को किए गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में ₹1317/- का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Mustroll No.	Month of payment	Amount of Mustroll	Amount as per Fund Transfer Order	Excess payment
783	02/2015	18942.00	19404.00	462.00
796	02/2015	21406.00	21560.00	154.00
795	02/2015	10472.00	10780.00	308.00
788	02/2015	9850.00	10243.00	393.00
			Total	1317.00

19. अस्थाई अग्रिमों ₹1.05 लाख का समायोजन न करना

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन परिशिष्ट-12 में दिये गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्यवाई न करने के कारण दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹105020/- के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थे। इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

20. चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यो को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारे।

अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान चौकीदार , सिलाई अध्यापिका एवं अन्यो को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नहीं बनाया गया था। जिसके कारण इस सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

21. विहित रजिस्टरो का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरो/अभिलेखो का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरो/अभिलेखो का रख-रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखो व रजिस्टरो का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमो का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानो के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)

10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

22. प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23. विविध अनियमितताएँ

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों हेतु बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत निधि खाता (क) और पंचायत निधि खाता (ख) होंगे। पंचायत निधि खाता (क) में ग्राम पंचायत के स्वः स्रोत्र आय जमा होगी जबकि पंचायत निधि खाता (ख) में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय-व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है , तथा साथ ही प्राप्त स्वः स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था , जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और निधि खाता (क) और पंचायत निधि खाता (ख) के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अतः पंचायत निधि खाता (क) और पंचायत निधि खाता (ख) के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

सामान्य रोकड़ वही	इस रोकड़बही में स्वः स्रोतों और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गयाथा।
रोकड़ वही मनरेगा	इस रोकड़बही में मनरेगा से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant	इस रोकड़बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

ग्राम पंचायत बड़ाच द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में हस्तगत के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत बड़ाच द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(इ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की प डताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़ाच द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने

को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

24. लघु आपति विवरणिका :- लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

25. निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 52 / 2016—खण्ड—1—2189—2192 दिनांक: 18.04. 2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत बड़ाच, विकास खण्ड ननखरी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ननखरी, तहसील ननखरी जिला शिमला हि0प्र0

हस्ता /—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881